निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ 1936 (श0)

(सं0 पटना 478) पटना, मंगलवार, 3 जून 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

26 फरवरी 2014

सं0 2223—नालन्दा जिलान्तर्गत बिहार शरीफ स्थित उदासिन संगत, अम्बेर (अम्बेर संगत) पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–520 है। पर्षदीय पत्रांक–847, दिनांक 08.08.2012 द्वारा श्री रामचन्द्रानंद दास को अधिनियम की धारा–33 के अन्तर्गत इस न्यास का अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया था। इस न्यास के संबंध में पूर्व में ही अंचलाधिकारी, बिहार शरीफ को जांच कर प्रतिवेदन देने का आग्रह किया गया था, जो अप्राप्त था। अतः पुनः न्यास के सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक विकास हेतु न्यास समिति के गठन के लिए पर्षदीय पत्रांक–197 दिनांक 26.04.2013 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, नालंदा से नाम मांगा गया।

इस बीच स्थानीय जनता से न्यास के कुप्रबंधन एवं मठ के भूमि/भवन के अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर पर्षद द्वारा इसकी जांच कराई गई। जांच पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि श्री रामचन्द्रानंद दास का वास्तविक नाम श्री रामचन्द्र यादव हे जो गृहस्थ है और इसके ही संरक्षण में इनके पुत्र एवं पौत्रों ने न्यास की भूमि का अतिक्रमण कर वहाँ खटाल (गाय भैंस रखने के लिए) बना दिया है। न्यास की वर्त्तमान दुर्दशा के लिए ये लोग ही जिम्मेवार है। इनके अतिरिक्त भी और कुछ लोगो ने न्यास की भूमि/मकान का अतिक्रमण कर रखा हे और पूरे न्यास परिसर का निजी उपयोग किया जा रहा है। यहाँ विधिवत् पूजा–अर्चना एवं अन्य धार्मिक आचारों का निवर्हन नहीं हो रहा है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार शरीफ ने न्यास समिति के गठन हेतु ग्यारह व्यक्तियों का नाम भी भेजा है। उपरोक्त परिस्थितियों में न्यास की सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अधिनियम की धारा–33 के तहत नियुक्त अस्थायी न्यासधारी का कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष का होता है। अतः श्री रामचन्द्रानंद दास के अस्थायी न्यासधारी का कार्यकाल दिनांक 07.08.2013 को समाप्त हो गया।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए उदासिन संगत अम्बेर, (अम्बेर संगत) नालंदा की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुचारू प्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **"उदासीन संगत, अम्बेर (अम्बेर संगत), नालंदा"** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **"उदासीन संगत अम्बेर, (अम्बेर संगत) न्यास समिति, नालंदा"** होगा जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा ।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा ।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा ।
4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा ।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी ।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी ।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी ।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि/भवन की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई अबिलम्ब प्रारम्भ करेगी ।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:–

(1) अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार शरीफ, नालन्दा – अध्यक्ष।
(2) श्री शंकर कुमार पिता– लक्ष्मी चन्द्र साह, सिरीसतल, अम्बेर
(3) श्री प्रिय रंजन कुमार पिता– भगवान दास, अम्बेर
(4) श्री कृष्णनन्दन प्रसाद पिता– नथुन प्रसाद, अम्बेर
(5) श्री जवाहर लाल गांधी, पिता– छोटे लाल, अम्बेर
(6) श्री भोला प्रसाद सिंह पिता– यमुना प्रसाद सिंह, अम्बेर उपनायर
(7) श्री सुरेन्द्र शर्मा, पिता– शिव ठाकुर, अम्बेर
(8) श्री श्रवण कुमार पिता– किशुन राम, अम्बेर
(9) श्री अमरेन्द्र कुमार वर्मा पिता– स्व0 माधो प्रसाद वर्मा, अम्बेर
(10) श्री रामलाल तांती पिता– स्व0 जेठमल तांती, सिरीसतल
(11) श्री मन्टु महतो पिता– स्व0 रामेश्वर महतो, सिरीसतल

इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से अगले 05 वर्षो की होगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इसकी निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) **478**-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in